

I/105746/2023

1/103365

1052

MD
15/03/23

759

SSO-III(P)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2
ई0पत्रावली संख्या-33931
देहरादून: दिनांक 13 मार्च, 2023

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-I/103365/2022, दिनांक 02 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अंतर्गत 02 निर्माण कार्य (स्टेज-II फेज-I) हेतु कुल लम्बाई 7.25 कि०मी० एवं लागत ₹241.02 लाख (रू० दो करोड़ इकतालीस लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश अंकित "अनुदान संख्या-007, लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य भवन 00-0-17-महत्वपूर्ण स्थापना कार्य-53 वृहत निर्माण" के स्थान पर "अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण" पढ़ा जाए।

3- शासनादेश संख्या-I/103365/2022, दिनांक 02 मार्च, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा जबकि शासनादेश के अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत रहेंगी।

Signed by Shyam Singh
Date: 13-03-2023 11:37:39

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली / प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण.खण्ड, लो. नि. वि., थराली।
11. गाई फाईल।

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव

C2(4)

14/3/23

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता

SAO(17-1)

15/3/23
डॉ प्रेम सिंह नबियाल
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

AV
15-03-23

प्रेषक,
विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोकनिर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 02 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अंतर्गत नन्दकेशरी-पूर्णा से धरा तथा कुलसारी-नैनढालू मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (स्टेज-II फेज-1) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा विषयगत संलग्न कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी लागत ₹241.02 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹241.02 लाख (दो करोड़ इक्तालीस लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (दस हजार मात्र) अर्थात् 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (दो बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitible आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का

- दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- ix. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
 - x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
 - xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-007, लेखाषीर्षक 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य भवन 00-0-17-महत्वपूर्ण स्थापना कार्य-53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

3 - ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/102894/2023 दिनांक 27 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar

(विनीत कुमार)
Date: 07-03-2023 11:32:51
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वरा।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण.खण्ड, लो. नि. वि., थराली।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

शासनदेश संख्या-

दिनांक: मार्च, 2023 का संलग्नक:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत (₹ लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)

1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चमौली के विधानसभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड देवाल के अंतर्गत नन्दकेशरी-पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (स्टेज-II फेज-1)	3.00	113.43	0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चमौली के विधानसभा क्षेत्र-थराली में कुलसारी-नैनडालु मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य(स्टेज-II फेज-1)	4.25	127.59	0.10
	योग	7.25	241.02	0.20

(रुबीस हजार मात्र)

Signed by Shyam Singh
Date: 01-03-2023 12:12:59

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/105746/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23030220029
आवंटन पत्र दिनांक-13-MAR-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के	
	337-सड़क निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर	
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)		Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		3890000	20000	0	3910000							
योग		3890000	20000	0	3910000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-mail: eicpwwd@nic.in



पत्रांक- 345 / 20 याता0'क'नियोजन-1/2023

दिनांक- 15 / 03 / 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, 07 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- अपर सहायक अभियन्ता प्रावधिक/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।


प्रावधिक अधिकारी